पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

मार्च, 2022 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

1. पेंशनभोगियों के लिए सुविधापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए और सभी बैंकों द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने से संबंधित उपायों पर चर्चा करने के लिए 4 मार्च, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अध्यक्षता में 15 पेंशन संवितरण बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

2. संकल्प, सीपेंग्राम्स और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर जागरूकता के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तीन वृत्तचित्र तैयार किए गए और विभाग के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए और पेंशनभोगियों के मोबाइल पर उनके लिंक भेजे गए।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने अपने विभाग के ट्विटर हैंडल पर एनपीएस से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की एक श्रृंखला शुरू की।

4. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 23.03.2022 के का.ज्ञा. सं.4/05/2019-पी&पीडब्ल्यू(डी) द्वारा पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के सुविधापूर्ण जीवन के लिए सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा या नियत चिकित्सा भत्ते का लाभ लेने के लिए विकल्प में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए हैं।

5. इस विभाग ने दिनांक 31.03.2022 के पत्र संख्या 1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/बैंकों को पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के अधीन जमा किए गए पेंशनभोगियों के नामनिर्देशनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। उक्त पत्र में मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/बैंकों द्वारा इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया गया है।

6. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने भविष्य पोर्टल में पीपीओ जारी करने में विलंब, पेंशन शिकायतों के विलंबित निवारण, अनुभव पोर्टल में 'प्रकाशित किया जाना है' श्रेणी के तहत लंबित अनुभव आलेखों के समीक्षा करने के लिए सचिव (पेंशन) की अध्यक्षता में 52 मंत्रालयों/विभागों/संगठन/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ दिनांक 15.03.2022 को भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

7. सीपेंग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों के समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अध्यक्षता में चार मंत्रालयों/विभागों/संगठन (अर्थात गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वित्त विभाग और ईपीएफओ) के साथ भारत वीसी द्वारा दिनांक 30.03.2022 को अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

8. विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 110वीं रिपोर्ट के संबंध में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत की गई।

9. मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए 'भविष्य' पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पाँच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

10. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को विलंब की निगरानी करने और ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार अंतर्निहित स्वचालित गणना से भी लाभ होता है। दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, 96 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 7807 डीडीओ के माध्यम से 814 संबद्ध कार्यालयों में भविष्य क्रियांन्वित किया जा रहा है। 'उमंग प्लेटफॉर्म' पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' तक पहुंचा जा सकता है। दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, 36553 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामलें इस प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 155393 पेंशनभोगियों के संबंध में पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया है। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से मार्च, 2022 मास में 3554 पीपीओ जारी किए गए थे। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जेनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। 'भविष्य' अब ई-पीपीओ को पेंशनभोगियों के डिजिलॉकर में भेजने का कार्य भी कर रहा है।

11. अनुभवः मार्च, 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से, 7944 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 31.03.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 5206 प्रकाशन की प्रक्रिया के अधीन हैं। मार्च, 2022 मास में, अनुभव के 322 आलेख प्रकाशित किए गए।

12. संकल्पः 'संकल्प' पहल के तहत, विभाग ने अब तक 47 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिससे 5972 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

13. माह के दौरान, 4364 शिकायतें दर्ज की गई और 5670 का निपटान किया गया। 31 मार्च, 2022 को शेष 4466 है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	दिनांक 01/03/2022 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	31/03/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	4466	4364	5670	1896	3160

14. **जेम (GeM) के माध्यम से खरीद**:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मार्च, 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी (उत्पादों के लिए आदेश) आदि की आपूर्ति के लिए जेम के माध्यम से रुपये 827936/- की राशि के लिए 15 (पंद्रह) आर्डर दिए हैं।

*****